

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ****अनुच्छेद 227 के अंतर्गत वाद संख्या: 1189/2026**

पटेल आदर्श विद्या शिक्षण संस्थान

ज़रिए संस्थापक अध्यक्ष सूरत सिंह और अन्य

....याचिकाकर्ता

बनाम्

उ0प्र0 राज्य ज़रिए. अपर मुख्य सचिव

संस्थागत वित्त विभाग लखनऊ और 4 दूसरे

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : शिव लाल यादव, आदित्य नारायण यादव, पूजा जैसवारप्रत्यर्थी(ओं) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं0 - 5**माननीय न्यायमूर्ति आलोक माथुर**

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री आदित्य नारायण और प्रत्यर्थी सं0 1 से 3 के स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
2. प्रस्तावित आदेश को देखते हुए निजी प्रत्यर्थी को नोटिस देना जरूरी नहीं समझा जाता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा है कि याचिकाकर्ता एक सोसाइटी है जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पटेल आदर्श विद्या शिक्षण संस्थान के नाम और शैली से रजिस्टर्ड है। यह कहा गया है कि यह सोसाइटी चार स्कूल/कॉलेज चला रही है।
4. इसके बाद याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे दो संस्थान के मैनेजर ने जिला जज, हरदोई के सामने एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें संपत्ति का कुछ हिस्सा बेचने की अनुमति मांगी गई थी और आगे कहा गया कि इस बिक्री से मिलने वाले पैसे का उपयोग वे दूसरी ज़मीन खरीदने के लिए करेंगे, जिस पर शैक्षणिक संस्थान बनाया जाएगा।
5. ऊपर दी गई अर्जी पर विचार करते हुए, जिला जज, हरदोई ने दि० 25.01.2024 के आदेश के ज़रिए अर्जी मंज़ूर कर ली थी और याचिकाकर्ता संस्था को यह कहते हुए इजाज़त दे दी थी कि उन्हें ज़मीन बेचने की इजाज़त होगी, लेकिन, यह शर्त रखी थी कि यह ज़मीन याचिकाकर्ता सोसाइटी के किसी भी पदाधिकारी या उनसे जुड़े किसी भी व्यक्ति को नहीं बेची जाएगी।
6. यह भी कहा गया कि बिक्री की रकम रु 25,00,000/- से कम नहीं होगी और यह रकम एक राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जाएगी। शर्त सं० 4 के मुताबिक, इस बिक्री से मिली रकम का इस्तेमाल गाटा सं० 419, क्षेत्रफल 0.3160 हेक्टेयर ज़मीन खरीदने

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के लिए किया जा सकता है और अगर बिक्री की रकम रु 25,00,000/- से ज्यादा है, तो बिक्री की बची हुई रकम को फिर से निवेश किया जाएगा, जिसका उपयोग याचिकाकर्ता सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे संस्थान के प्रबन्धन के लिए किया जाएगा।

7. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दि० 25.01.2024 के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि जिला जज के निर्देश के अनुसार, सोसाइटी की ज़मीन बेच दी गई है, लेकिन उससे मिली रकम राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा नहीं की गई है और न ही ज़मीन खरीदने के लिए बाद में मिली रकम का इस्तेमाल किया गया है, और इसी आधार पर याचिकाकर्ता उस आदेश को चुनौती देना चाहता है।
8. जब याचिकाकर्ता से पूछा गया कि क्या वह जिला जज की किसी शर्त से नाराज़ है, तो उसने कहा कि वह जिला जज के आदेश से किसी भी तरह से नाराज़ नहीं है, बल्कि यह कहा कि आदेश का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए और संस्थान के प्रबन्धक को यह शर्त रखनी चाहिए कि वह बिक्री से मिली रकम एक राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गए खाते में जमा करे और बाद में, गाटा नंबर 419 पर मौजूद ज़मीन खरीदी जाए और उसका इस्तेमाल याचिकाकर्ता सोसाइटी के फ़ायदे के लिए किया जाए।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

9. ऊपर बताई गई बातों से यह पता चलता है कि असल में याचिकाकर्ता इस मामले में दि० 25.01.2024 के आदेश को लागू करने के बारे में मांग कर रहा है और असल में उसे उस आदेश से कोई शिकायत नहीं है।
10. ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए, इस कोर्ट का मानना है कि ऊपर बताई गई परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता के लिए दि० 25.01.2024 के आदेश को सही आयोग/प्राधिकरण/न्यायालय के समक्ष निष्पादन करवाना खुला होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करके ऐसा निष्पादन नहीं किया जा सकता।
11. इसलिए, ऊपर दी गई स्वतंत्रता के तहत, इस न्यायालय को इस मामले में दखल देने का कोई आधार नहीं मिलता।
12. इसलिए, मौजूदा रिट याचिका में कोई दम नहीं होने के कारण इसे खारिज किया जाता है।

26 मार्च, 2026

(न्यायमूर्ति आलोक माथुर)

ए० वर्मा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।